पत्र सं0-बी-4-वाहन क्रय -आउट सोर्सिंग से वाहन व्यवस्था-2019-20// 5184 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाँक :: 27 जनवरी, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

माननीय मुख्यमँत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में पंजीयन लक्ष्य निर्धारित करते हुये शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति एवं प्रत्येक वाणिज्य कर खण्ड में पंजीयन अभियान हेतु एक वाहन की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है। शासन के पत्र संख्या-राज्य कर-4-01/11-2020-300(39)/13 दिनाँक 27 जनवरी, 2020 द्वारा 336 वाहन दिनाँक 31.03.2020 तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी है कि दिनाँक 31.03.2020 तक 25 लाख व्यापारी अनिवार्य रुप से पंजीकृत हो जाएं।

अत: कमिश्नर महोदया के अनुमोदनोपरान्त शासन के पत्र संख्या-राज्य कर-4-01/11-2020-300(39)/13 दिनाँक 27 जनवरी, 2020 से प्राप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में जोनल कार्यालयों से प्राप्त माँग/उपलब्ध खण्ड कार्यालयों की आवश्यकता के आधार पर जोन के अन्तर्गत स्थित खण्ड कार्यालयों हेतु दिनाँक 31 मार्च, 2020 तक नियमानुसार आउटसोर्सिंग से वाहन लिये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। जोनवार आवंटित वाहनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	जोन का नाम	वाहन की संख्या
01	गाजियाबाद-प्रथम	13
02	गाजियाबाद- द्वितीय	12
03	लखनऊ-प्रथम/द्वितीय	28
04	कानपुर-प्रथम/द्वितीय	24
05	आगरा	16
06	इटावा	17
07	गौतमबुद्धनगर	12
08	प्रयागराज	14
09	अलीगढ़	18
10	बरेली	14
11	वाराणसी-प्रथम	19
12	वाराणसी-द्वितीय	26
13	सहारनपुर	22
14	मेरठ	12
15	मुरादाबाद	25
16	गोरखपुर	18
17	अयोध्या	17
18	झाँसी	13
योग		320

उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रौल आदि की ख़रीद के नामे डाला जायेगा।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।